पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/32(अनु)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 20/7/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 28(स्वी०) दिनांक 18.07.2026 द्वारा स्वीकृत षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों/डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹2,21,71,20,000.00 (दो अरब इक्कीस करोड़ इकहत्तर लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 28(स्वी०) दिनांक 18.07.2026 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों के सामान्य निधि मद की देय अनुदान राशि में से ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका–03 के अनुरूप कुल ₹2,21,71,20,000.00 (दो अरब इक्कीस करोड़ इकहत्तर लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों को मानदेय की भुगतान हेतु कुल ₹2,21,71,20,000.00 (दो अरब इक्कीस करोड़ इकहत्तर लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3
1	Araria	64800000.00
2	Arwal	16740000.00
3	Aurangabad	57240000.00

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Comm Exp\6th SFC 2026-27\Letter.docx 169

4	Banka	45600000.00
5	Begusarai	55680000.00
6	Bhagalpur	66060000.00
7	Bhojpur	66240000.00
8	Buxar	37080000.00
9	Darbhanga	87420000.00
10	Gaya	78660000.00
11	Gopalganj	65160000.00
12	Jamui	40080000.00
13	Jehanabad	25560000.00
14	Kaimur	39720000.00
15	Katihar	64320000.00
16	Khagaria	34500000.00
17	Kishanganj	37920000.00
18	Lakhisarai	19380000.00
19	Madhepura	46140000.00
20	Madhubani	108960000.00
21	Munger	28380000.00
22	Muzaffarpur	108180000.00
23	Nalanda	63240000.00
24	Nawada	45180000.00
25	West Champaran	85740000.00
26	Patna	71040000.00
27	East Champaran	112800000.00
28	Purnia	64740000.00
29	Rohtas	65820000.00
30	Saharsa	34200000.00
31	Samastipur	95880000.00
32	Saran	85380000.00
33	Sheikhpura	12840000.00
34	Sheohar	17520000.00
35	Sitamarhi	73440000.00
36	Siwan	84300000.00
37	Supaul	52320000.00
38	Vaishali	58860000.00
कुल		**2217120000.00**

दो अरब इक्कीस करोड़ इकहत्तर लाख बीस हजार रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष –0009.31.04–सहायक अनुदान–वेतन' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980009 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 28(स्वी०) दिनांक 18.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। राशि की निकासी CFMS के माध्यम से संबंधित जिले के जिला कोषागार से नियमानुसार करते हुए ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों के मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नियमानुसार आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या ...58.../टि० दिनांक 18/7/26 पर प्राप्त है।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

18/7/26

(नज़र हुसैन)

विशेष सचिव

Aditi

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Commt Exp\6th SFC 2026-27\Letter.docx 171

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/32(आठ)/पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 20/7/26
विशेष सचिव

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/32(आठ)/पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 20/7/26
विशेष सचिव

Aditi

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Comnt Exp\6th SFC 2026-27\Letter.docx 172